छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

भास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 81/रेरा/2023/526 रायपुर, दिनाँक 03/05/2023

//परिपत्र//

विषय :– जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, रायपुर दिनाँक 28/09/2018।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित धारा–4, 5 व धारा–11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। तत्संबंध में जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2023 है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनाँक 24.04.2023 के माध्यम से उक्त तिथि में वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तिमाही में वेबपोर्टल में नवीन संशोधन किये गये हैं; अतः क्रेडाई की उक्त मांग को ध्यान में रखते हुये जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की तिथि में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनवरी से मार्च, 2023 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु तिथि 30 अप्रैल, 2023 में 1 माह का विस्तार करते हुये बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2023 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनाँक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर